

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/5/2017

दिनांक: 6 जनवरी, 2017

प्रेस नोट

विषय:- पंजाब के 2- अमृतसर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन हेतु अनुसूची-तत्संबंधी।

पंजाब के 2-अमृतसर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा में स्पष्ट रिक्ति है जिसे भरे जाने की आवश्यकता है:

त्यौहारों, निर्वाचक नामावलियों इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखने के पश्चात्, आयोग ने नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित कराने का निर्णय लिया है:-

| मतदान कार्यक्रम | अनुसूची |
|--|---------------------|
| राजपत्र में अधिसूचना जारी करने की अंतिम तारीख | 11.01.2017(बुधवार) |
| नामांकन भरने की अंतिम तारीख | 18.01.2017(बुधवार) |
| नामांकनों की संवीक्षा की तारीख | 19.01.2017(गुरुवार) |
| अभ्यर्थिताएँ वापस लेने की अंतिम तारीख | 21.01.2017(शनिवार) |
| मतदान की तारीख | 04.02.2017(शनिवार) |
| मतगणना की तारीख | 11.03.2017(शनिवार) |
| वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। | 15.03.2017(बुधवार) |

निर्वाचक नामावली

पंजाब राज्य में दिनांक 01.01.2017 के संदर्भ में निर्वाचक नामावली, 05.01.2017 को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम)

आयोग ने उप निर्वाचन में सभी मतदान केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें प्रयोग करने का निर्णय लिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करवा दी गई हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन मशीनों की मदद से मतदान निर्विघ्न रूप से संचालित किए जाएं, सभी उपाय कर लिए गए हैं।

मतदाताओं की पहचान

पूर्व पद्धति के अनुरूप, आयोग ने यह निर्णय लिया है कि मतदान के समय उपरोल्लिखित उप निर्वाचन में मतदाता की पहचान आवश्यक होगी। मतदाता की पहचान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र(एपिक) मुख्य दस्तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्वाचक नामावली में किसी का भी नाम विद्यमान होने पर कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए, इसके लिए उक्त उप निर्वाचन में मतदान के समय मतदाता की पहचान के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति प्रदान किए जाने के लिए अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे।

आदर्श आचार संहिता

आयोग के दिनांक **26** अप्रैल, **2012** के अनुदेश सं. **437/अनु./2012/सीसी एवं बीई**(आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) द्वारा जारी, आंशिक संशोधनों के अधधीन, आदर्श आचार संहिता उस जिले में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी जहां पूरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र या उसके कुछ अंश में उप निर्वाचन होना है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्य सरकारों पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के उपर्युक्त जिलों के लिए संघ सरकार पर भी लागू होगी।

(सुमित मुखर्जी)
सचिव